आजादी के 60 साल के बाद, झारखण्ड के जंगल

अलोका झारखण्ड़

आधुनिक विकास का संबंध मानवमूल्य से हमें ाा प्रतिकूल ही रहा है। विकास धीरे– धीरे विना ा की ओर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती आबादी, उजड़ते जंगल और खदानों की संख्या में हो रही लगातार वृद्वि के कारण यहां का भूगोल बिगड़ रहा है। नवगठित झारखण्ड राज्य इसकी मार झेल रहा हैं। नाम से प्रतित होने वाला, झरनों का खण्ड, झारखण्ड वनों का प्रदे ा रहा हैं। भारत के आजादी के पूर्व से ही झारखंड जंगल और पहाड़ों के रूप में जाना वाले इस प्रदे ा की संतुलन व्यवस्था चरमरा सी गयी है। अंग्रेज के जमाने में बने विल्किं ान रूल और छोटानागपूर टेन्सी एक्ट, संथाल परगना टेन्सी एक्ट, वनों को बचाने में भाायद कारगर नही हो रही हैं। एक लम्बे समय से जंगल पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी परम्पराओं के आधार पर ही जंगल को संरक्षण देते आ रहे वही कानून के सरकारी कानून की मार से जंगल को बचाया नही जा सका बल्कि उजड़ने के लिए छोड दिया गया। यहं कानून जंगल और जमीन की रक्षा के घ्यान में रख कर बनाया गया किन्तू कानून का बनना और जंगल का दोहन अंग्रेज काल में भाुरू हो चूका था। आजादी के बाद भारत दे ा को एक कृशि राज्य कहा गया किन्तु यहां आधी से अधिक भू– भाग जंगल से धिरे हुए थें। दे ा को आजादी के 60 साल के सफरनामा में झारखण्ड के जंगल के कितना विकास हुआ, और कितना विना ा हुआ, इस पर चर्चा करने की जरूर हैं इस ग्लोबल युग में। जंगल वि व का मुदृदा बन गया। जंगल आज किसकी जरूरत हैं। उस कानून में वह समुदाय हैं ही नही। जंगल के विगड़ते स्वरूप और आदिवासी दलित जीवन में मंडराता जीवन का संकट।

भाुरूआत करते हैं सरांडा के जंगल से, एि ाया का सबसे बड़ा जंगल झारखण्ड में हैं। यह जंगल उड़ीसा और झारखण्ड के सीमा भी है। एक समय वह जंगल इतना धना और भीतल भर था जिससे देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। उस जंगल में लोग जाने से डरते थे इतनी घना जंगल जहां प ाु पक्षी और कई तरह के जंगली जानवर निवास करते थे। साथ ही उन जंगल में आदिवासी सुमदाय अपना जीविका यापन करते थे। दे ा आजाद होने के पहले यह स्थिति थी। वन कानून बना, वैसे ही वन माफिया बनाये गये जंगल पर सरकार का हुकूम चलने लगा। जनता और जानवर दोनों पर अत्याचार भाुरू होने लगें जंगल के अंदर प ाु और पक्षी का ि ाकार एक रिवाज बन गया। अंधाधुन प ाुओं को मार कर कीमती लकड़ी जंगल से गायब होना भाुरू हो गये। धीरे – धीरे परम्परागत वृक्षों का लुप्त होना भाुरू हो गया। उस समय चुंकि साधन का अभाव था लोग जंगल को काट कर छोटे– छोटे टुकडे कर बाजार में, घर के साजो समान बनाने लगें जंगली प ाु को मार कर घर के दिवालों में लगाना भाान समझते थें इसकी गति झारखण्ड में अचानक बढ़ने लगें और जंगल व्यापार के साधन के रूप बदल गया। यही नही दिकू लोग व इसे तस्करी के रूप में अन्य स्थानों में भेजने लगे। उंची कीमत की में लकडियो के व्यापार से लाखों रूपये कमाये जाने लगे सरकार ने भी वन विभाग कि सीापन इसी उद्दे य से किया वन विभाग द्वारा भी लकड़ी तस्कर बहुत ज्यादा उभर कर आये जिससे केन्द सरकार को भारी रायल्टी प्राप्त होती रही।

अंग्रेजो ने ही बांटा जंगल को कई भागों में

वो समय था जब पूरी आबादी जंगल पर निर्भर करती थी । वही उसका घर होता था। वही उसकी सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजो ने देखा कि बड़ी भू– भाग में जंगल बसा हैं। और साथ ही मानव जीवन के जीविका के साथ जुडा हुए हैं। मानव जीवन का एक भाग वन आश्रित था और अभी भी है। देखा गया कि जाक समूदाय वन पर आश्रित रहे उन्होंने वन की सुरक्षा भी कियें।, बाहर से किसी की मदद कि आव यकता नही पडी। आदिवासी अपने भाासन के साथ अपना नियम जो अलिखित रहा है,उसी के आधार पर वन की रक्षा करते थे। इन नियमों को देख कर अंग्रेजो ने वन कानून (लिखित) बना

कर जंगल को कई भागों में बांट दिया। 1. सुरक्षित जंगल (protected forest) 2 संरक्षित जंगल (private protected forest) 3. आरक्षित जंगल (Reserve forest) 1945 का समय, द्वितीय वि व युद्व के बाद से जंगलों पर सबसे अधिक हमला होना भारू हुआ। दे । की आजादी के बाद (1947) में जब बिहार था। बिहार प्राइवेट एक्ट बना कर जंगल और जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया ।

आजादी के बाद छोटानागपूर क्षेत्र के जंगल का स्वरूप बदल कर बदत्तर हो गयो। बढती आबादी से लेकर विदे ी कम्पनियों के आगमन जंगल को विना । की ओर ही धकेला। कम्पनियों ने जंगल को सिर्फ नुकसान ही पहुचाएं जंगल की जान, खदान और कारखाने ने ली। बोकरों स्टील प्लांट, एच ई सी कारखाना, **टाटा** में कारखाना लाखों एकड जंगल को उजाड़ कर बसाया गया एवं कोयलांचल में 50 वर्ग किमी क्षेत्र फैला हुआ है। आंकडे बताते है कि इस क्षेत्र में जंगल की कटाई में 38 फीसदी भूखंड उजाड़ हो गया है। और अभी भी जंगल के दोहन जारी है। जिससे खेतीहर भूमि बंजर हो गये? और छोटानागपूर में भूख से मौत होने लगी। पुराने वन कानून आज भी दे । राज्य के अन्दर लागू थें। इस कानून से आदिवासी समुदाय के जीवन पर खतरें उत्पन्न होने भारू हो गये। साथ ही कानून ने आदिवासीयों को जंगल से अलग करना भारू कर दिया। अपने को अलग होते देख आदिवासी जंगल पर जनता का अधिकार को लेकर गोलबंध होने भारू हुए। अपने अधिकार को पाने के लिए गांव– गांव में ग्राम सभा के माध्यम से जंगल की रक्षा के लिए बैठक कर जंगल की रक्षा करना एवं वन उत्पादन को स्वयं उपयोग करना ताकि वन अपने अधिकार में रहें।

वन रक्षा बनाम वन कानून और वृक्ष रोपन बनाम नरेगा कानून

वन रक्षा बनाम वन कानून ने आदिवासी दलित समुदाय को वन से वंचित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहें है। इस हथकंडे में वन कानून पास कर आदिवासी दलित को मुर्ख बनाया जा रहा हैं। वन कानून पास होते ही वन के अधिकार आदिवासी लोगो के हाथों से छिनती नजर आ रही हैं। दूसरी ओर नरेगा कानून के तहत योजना बनाई गयी है कि वन भूमि में वृक्षा रोपन किया जाए। दोनों ही कानून वन के नाम पर आदिवासी और दलित के अधिकार को छिनने के लिए ही बनाए गये है।।

वर्तमान में आदिवासी जंगल के किनारे रह कर वनों को बचा रहे हैं। आदिवासियों ने जंगल को मां का दर्जी दिया जिस जंगल को वे अपने परिवार की तरह मानते है। सरकार कानून बना कर उनको वनों से हटाने की कोि । । कर रहीं। उधर आदिवासी जंगल को अपने अधिकार पाने के लिए आंदोलन कर रहें हैं। आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि बाध्य हो कर सरकार को वन कानून बनाने पर विचार करनी पड़ी। परिणामः केंद्र की यू0 पी0 ए0 सरकार ने अनुसूचित जनजाति (वन अधिकार मान्यता) विधेयक 2005 संसद में पे । करने को तैयार हो गई। मगर इस पे ाक । से आदिवासी समुदाय को बहुत लाभ नही होने जा रहा है। क्योंकि वन कानून में वन के किनारे रहने वाले के अधिकार की कोई व्यवस्था नही हैं। जबकि वन के अंदर रहने वाले समुदाय वन की रक्षा तो कर सकतें हैं किन्तु सरकार से बिना अनुमति के वन से फल फूल, लकड़ी पत्थर एवं अन्य जड़ी बुटी नही ले सकते। साथ ही ग्राम सभा के अन्दर गांव वालो को महत्वपूर्ण पद नही मिलन जा रहे हैं। वही कट आफ़ डेट 1980 के आधार पर जंगल के गांव में रह रहे लोगो को मान्यता नही होगा कानून आनन– फानन में पास तो हो गये इससे आम जनता को किसी प्रकार का कोई लाभ नही मिलने जा रहा हैं। दुसरी ओर नारेगा कानून के तहत जंगल के किनारे रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीविका का आधार भूमि हैं उसमें वृक्षा रोपन काम किया रहा हैं। एक और वन कानून के तहत जनता के अधिकार की बात की चर्चा होने लगी वही नारेगा कानून के तहत वन भूमि के वृक्ष लगा कर गांव के खेतीहर भूमि को वन भूमि में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। झारखण्ड राजधानी रांची के कांके ब्लाक में कई ऐसे गांव हैं। वहां गांव वाले के खेती योग्य जमीन पर जबरन पेड़ लगा कर गांव वाले की खेतीहर भूमि छिन्ने की कोि । । चल रही है।

भारत सरकार की वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकारि । रिपोर्ट 2001– 2003 तक की रिपोर्ट वन राज्य रिपोर्ट 2993 यह उजगार उजागर करता हैं। इन दो वित्तीय वर्शो में ही 26.245 वर्ग किमी जंगल का विना । हुआ है। भारत सरकार का दावा है कि दे । का कुल वनावरण क्षेत्र 678.333 वर्ग किमी है।

जिसमें से 51.285 वर्ग किमी वन सधन वन है। गौर करने की बात यह हैं कि यह जानकारी सेटेलाइट से उपलब्ध चित्रों के आधार पर कही गयी है। किन्तु यह बात हम सब जानते है कि सेटेलापइट से उपलब्ध चित्र जंगल के अलावा बगीचों (चाय बगाल, छोटी झाडी, धान के खेत ज्वार, ईख के खेत, नारियल के पेड़ों के समूह) को भी जंगल की श्रेणी में ही द ार्ता है।

इधर जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी / दलित समुदाय कि स्थिति भूखों मरने की तरह होने लगी। गांव के गांव भाहर की ओर पलायन करने लगें गांव खांली होता चला गया और लकड़ी माफियाओं का राज्य बनता चला गया। अब जंगल व्यापार के रूप में सामने आ गये जिस जंगल को आदिवासी / दलित अपने पूर्वजों के सम्पति मान कर रक्षा करते थे जिसको उन्होंने अपने परम्परागत आव यकता के लिए संभाल कर रखा था। अब वे उनके नही रहें क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकार के साथ–साथ वि व बैक बहुराश्ट्रीय कम्पनियों, कई एन जी ओ की नजर इस खजाने पर पड़ चुकी है। अब वन के आर्थिक पक्ष को लेकर राजनीति तेज हो रही हैं। 60 साल पहले के वन क्षेत्र के धनत्व में काफी गिरावट आई जिससे आदिवासी और दलित का पलायन दिखता हैं।

वन की रक्षा ऐसे की गयी

वन कानून बनने से लेकर आज तक वन कि रक्षा पर ना कभी किसी ने सवाल खड़े किये हैं और ना वन जीवित रहे इस पर बहस छिड़ी हों। वन से कैसे आर्थिक लाभ मिलें इसके लिए हर प्रयास किया जा चुका हैं चाहे वह नक्सली जंगल में बस गये हैं इस नाम से वन की कटाई हुई। कभी बहुराश्ट्रीय कम्पनी को जंगल भूमि बेच दिया गया कभी वन में आग लग जाने के कारण वनों की कटाई कर दी जा रही हैं। बदले में जंगल बचाने का काम नही हो रहे हैं झारखण्ड के जंगल सखूआ का रहा हैं। पूराने सखूआ का जंगल वन माफियाओं के द्वारा बेचा जा चुका है। जंगल की रक्षा नही की गयी सिर्फ जंगल से लोगो ने पाया है। जंगल को बनाया नही हैं।

झारखण्ड के वन क्षेत्र के गांव में भूखो मरने की स्थिति

झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है वहां कृशि से पूरा जीविका नही चला पातें। छः महीने का भोजन वे जंगल से अलग– अलग रूपों में प्राप्त करते है। फल– फूल से लेकर लाह के उत्पादन एवं जड़ी बूटी के इलाज के साथ–साथ जन्म, मरन की किया कलापों के सामग्री वन से प्राप्त करते थे। साथ ही प ु पक्षी के साथ– साथ समूहिक रूप से जीवन यापन करने की एक प्राकृतिक नजरिया रहा हैं। मानव समाज के वैज्ञानिकता को देखे तो सहभागिता हर समाज के अंदर रही हैं। जिसे वन क्षेत्र के लोग पूरा करते रहें। जैसे ही सहभागिता को समाप्त किया वैसे ही वन छिन गया और वन का दोहन होने से झारखण्ड के अंदर भूखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं।

पशु–पक्षी का एकमात्र अशियाना

मानव जीविन में निर्माण की प्रवृति तो रही हैं किन्तू प ु–पक्षी जिन्होने कभी जंगल बनाने की कल्पना नही कि हैं वे मानव के बनाये अि ायाना पर अपना निवास कर अपनी सहभागिता निभाता रहा है। उनके आि ायाना को छिनने की पूरजोर कोि ा ा कर चुके हैं। अब पक्षी जंगल में ना रह कर दूसरे राज्य के घर और दूकान में पर अपना आि ायाना बना रहे हैं। जिन पक्षी के लिए आदिवासी समाज में एक स्थान रहा था उसे भी लूट लिया गया। इस संसार में प ु–पक्षी के लिए कोई स्थान नही रहें हैं। जंगल कटता जा रहा हैं। पानी की किलत होती जा रही हैं। मानव के साथ– साथ पक्षी को भी भूखे प्यासे मरना पड़ेगा।

जंगल कटे लकड़ी कहां गयी ?

जंगल कट गये सरकार और वन विभाग के घरों में जंगल का कटना सिर्फ स्थानिय दलालों की जिम्मेवारी नही रही। बल्कि सरकार और पूंजीपति तंत्र ने मिल कर जंगल को साफ कर दिया है। जंगल कटा तो सरकार और वनविभाग के घरों की अच्छी मेज कुर्सीयां बनी। कुछ लकड़ी के बेच दी गयी। उससे जो पैसे आये उसकी आपस में बंदर बांट हो गयी। जबकि वन की रक्षा के लिए करोड़ो रूपये वनविभाग को मिलते हैं। किन्तु वनविभाग ने वन कि रक्षा के लिए वन पाल तक की नियूक्ति नही की है। उलटे गरमी के दिनों में वन के अंदर आग लगा कर आग बुझाने के नाम पर करोड़ो रूपये वसूल लेते है। वर्तमान में वनमंत्री उपमुख्यामंत्री सुधीर महतों हैं उनका घर जम ोदपूर के कदमा के उलयान में हैं ठीक वनमंत्री के घर के बगल में लकड़ी की कारखाना हैं वहां पूराने और नये पेड़ के मोटी मोटी लकड़ी बेची जा रही है और वन मंत्री वन की रक्षा की बात कहते घूम रहें है।

वनग्राम का मामला अर्ध में लटका

जंगल के अंदर 15000 आदिवासी एवं दलित निवास करते हैं जिनका मुख्या पे ाा वन के उत्पादन को बेच कर अपना जीविका चलाना हैं। लगातार वन कि कटाई से आदिवासी होने लगे चिन्तीत । विगत 10 सालों से वन की रक्षा के लिए पूरे झारखण्ड में जंगल बचाने के लिए हर ब्लॉक, हर प्रखण्ड, हर जंगल पर अधिकार की मांग को लेकर धरना प्रद ान होने लगे। 2000 में अलग राज्य झारखण्ड बना सता में भाजपा की सरकार आयी केन्द्र में भी सरकार भाजपा की थी कभी जंगल के लोगो के लिए हित की बात नही की जैसे ही भाजपा सरकार की सत्ता गिरने की बारी आई उन्होंने तुरन्त कहा कि वन क्षेत्र को लोगो को पट्टा दिया जाएगा। बड़े – बड़े विज्ञापन अखबारों में रोज आने लगे। वह विज्ञापन वनग्राम के लोगो के लिए विज्ञापन ही वन कर रह गये। सरकारे बदलती रही मुद्दा भी बदल गया पट्टा किसी लोगो को नही मिला और भाजपा की सरकार ने डोमि ाइल का मुद्दो के तुल दे दिया, कि 1932 के खतियान के आधार पर ही यहां लोगो को निवासी माना जाएगा तथा उन्हें ही नौकरी दी जाएगी जबकि वन ग्राम के 15000 आदिवासी और दलितों का क्या होगा? जिनके नाम के पट्टा आज तक उनके पास नही हैं जबकि वे झारखण्ड के निवासी हैं। उन्हें वहां के स्थाई निवासी होने का प्रमाण कौन देगा? उन हजारों परिवार कें पास खतियान नही होने के कारण वे सरकारी नौकरी के हकदार नही हो पा रहें। उनकी समस्या कौन सुनेगा। जब कि जंगल की समस्या बढ़ती चली गयी कई सरकार आयी और गयी किन्तु जंगल का मामला जंगल में ही सिमट कर रह गया।

ग्राम सभा बनाम वन सुरक्षा समिति

2003 में झारखण्ड के जंगल के किनारे स्ट्रेच खोदने का काम भारू किया गया। इस खुदाई के काम के लिए वन सुरक्षा समिति बना कर ग्राम सभा के देख रेख में गांव वाले कि उपस्थिति में किया जाना था किन्तु झारखण्ड में ना ही ग्राम सभा का गठन हुआ और ना वन सुरक्षा समिति की गठन हुई। काम आ जाने पर वन विभाग के अधिकारी गांव मे मनमाने तरीके से ग्राम सभा का गठन कर कार्य करने लगे जिसमें गांव के एक या दो लोग ही इस बात को जान पाये बाकी को ग्रामवासी स्ट्रेच बनाने का विरोध हुए ब्लॉक का घेराव करने लगे ब्लॉक पदाधिकारी ने गांव के लोगो को समझाया कि जंगल से हाथी बाहर आ जाते हैं और घर और खेत को बर्बाद करते हैं। स्ट्रेच के खोदाई से हाथी गांव के अंदर नही आएगे। विरोध तब भी जारी रहा मगर पूरे झारखण्ड के जंगल के किनारे स्ट्रेच का कार्य कर चुके और जंगल के अंदर युक्लिपट ा के पेड लगाने का कार्य भारू हुआ। देखा जाए तो सखुआ के जंगल में युक्लिपट ा के पेड लगा कर हमला किया जा रहा है।

मुण्डारी खूंटकट्टी जंगल और अधिकार –: छोटानागपूर टेन्सी एक्ट, में मुण्डाओं को वि ोश अधिकार प्राप्त हैं आजादी के 60 साल पहले मुण्डाओं के अपने राज्य हुआ करते थें। वह गांव मुण्डारी खूंटकट्टी गांव हुआ करते थे। मुण्डाओं की अपनी भाासन व्यवस्था हुआ करती थी। जंगल पर मुण्डाओं का अपना अधिकार हुआ करता था। जंगल जमीन और पानी के लिए सरकार उनसे टेक्स नही लेते थे। बल्कि मुण्डाओं के ही उनके प्राकृतिक सम्पदा लेने पर मुण्डा को टेक्स लेते हैं। मुण्डा कभी सरकार को टेक्स

नही दिया है। दिया तो सिर्फ चंदा। ये भाासन व्यवस्था वाले लगभग 544 गांव हुआ करते थे। कुछ गांव को सरकार ने हस्तान्तारित कर उसे सरकारी क्षेत्र बना दिया। वर्त्तमान में ये गांव घट कर 156 हो गयें हैं 2004 में मुण्डारी खूंटकट्टी के कम होते गांव पर मुण्डाओं ने रोश व्यक्त किया और अपने छिनते भाासन को पूर्णः वापस करने के लिए 2004 नवम्बर माह में एक रिट याचिका दायर की जिसमें मुण्डारी खूंटकट्टी गांव को मान्यता देने और छिने गये गांव को वापस करने के लिए केसा दायर किया गया जिसका कोई नतीजा नही आया।

सफदर
एच बी रोड थड़पखना रांची
झारखण्ड